

प्र.सं. 85/2024 (GCMS नं.: 2024/180)  
आईसीआईसीआई होम फाईनेन्स लि. बनाम सुदेश कुमार सर्वा आदि  
अन्तर्गत धारा 14 SARFAESI Act.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
-------------	------------------------------------	--

15.10.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी से ऋण लिया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति बैंक के पास बंधक रखी थी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि भुगतान का व्यतिक्रम करने पर अप्रार्थीगण के खाते को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत किया गया। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस प्रेषित किया गया, जो अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया। ऋण द्वारा धारा 13(2) के नोटिस पर कोई आक्षेप प्रस्तुत नहीं किया है ना ही देय राशि का भुगतान प्रार्थी को किया है। सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.09.2023 को धारा 13(4) के तहत ले लिया गया है। अतः अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में कम्पनी के पास बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी को पुलिस सहायता से दिलाए जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों यथा रजि. रसीदें एवं रजि. डाक के ऑनलाईन ट्रेक रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। धारा 14 के तहत आवेदन प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन के साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की अन्तर्वस्तु के प्रति समाधान हो जाने के आधार पर कार्यवाही किया जाना होता है। पूर्व में उक्त भूखण्ड एवं ऋण अप्रार्थीगण के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सं. 01/2024 दिनांक 23.01.2024 को अस्वीकार किया गया है, परन्तु प्रार्थी द्वारा पूर्व के प्रकरण संबंधित तथ्यों को छुपाते हुए पुनः हस्तगत प्रकरण पेश किया है। ऐसी स्थिति में आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 15.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अपदेश मीना)  
जिला कलक्टर  
अनूपगढ़ I.A.S.  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
अनूपगढ़